



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.06.2022

1-थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा बन्द पडी कम्पनी में चोरी करने वाले 03 चोर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस, 02 अवैध चाकू, 06 सीपीयू, 01 एलसीडी, 02 कैमरा, 01 टीएफटी व अन्य सामान बरामद।

दिनांक 06/06/2022 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा बन्द पडी कम्पनी में चोरी करने वाले 03 चोर 1.अजय कुमार पुत्र रामाशीष निवास ग्राम कस्मा मरार, थाना खजोली, जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान पता हरौला, सेक्टर-05 नोएडा 2.समीर उर्फ मौ0 साहिल पुत्र जुल्फिकार निवासी मौ0 कोर्ट किला, थाना सदर बाजार, जिला आजमगढ वर्तमान निवासी हरौला, सेक्टर-05 नोएडा 3.कृष्णकान्त ठाकुर पुत्र रामकरन निवासी ग्राम कस्मा मरार, थाना खजोली, जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान निवासी हरौला, सेक्टर-05 नोएडा को थाना क्षेत्र के सेक्टर-4, उपलैक्स कम्पनी तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बन्द कम्पनी से चोरी किया गया सामान 06 सीपीयू डेल कम्पनी, 01 एलसीडी, 02 कैमरा पैनासोनिक कम्पनी, 01 टीएफटी डेल कम्पनी व चोरी का सामान ले जाने में प्रयुक्त धकेल व 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस व 02 अवैध चाकू बरामद हुए है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो अपने साथ अवैध अस्लाह रखते है तथा बन्द पडी कम्पनियों में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.अजय कुमार पुत्र रामाशीष निवास ग्राम कस्मा मरार, थाना खजोली, जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान पता हरौला, सेक्टर-05 नोएडा।
- 2.समीर उर्फ मौ0 साहिल पुत्र जुल्फिकार निवासी मौ0 कोर्ट किला, थाना सदर बाजार, जिला आजमगढ वर्तमान निवासी हरौला, सेक्टर-05 नोएडा।
- 3.कृष्णकान्त ठाकुर पुत्र रामकरन निवासी ग्राम कस्मा मरार, थाना खजोली, जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान निवासी हरौला, सेक्टर-05 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 226/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अजय कुमार थाना फेस-1 नोएडा।

- 2.मु0अ0सं0 227/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम समीर उर्फ मौ0 साहिल थाना फेस-1 नोएडा।
- 3.मु0अ0सं0 228/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम कृष्णकान्त ठाकुर थाना फेस-1 नोएडा।
- 4.मु0अ0सं0 229/22 धारा 411/414 भादवि बनाम अजय कुमार, समीर, कृष्णकान्त थाना फेस-1 नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

- 1.06 सीपीयू डेल कम्पनी।
- 2.01 एलसीडी।
- 3.02 कैमरा पैनासोनिक कम्पनी।
- 4.01 टीएफटी डेल कम्पनी।
- 5.चोरी का सामान ले जाने में प्रयुक्त धकेल।
- 6.01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस।
- 7.02 अवैध चाकू।



2-थाना नॉलेजपार्क पुलिस व एसटीएफ फील्ड यूनिट द्वारा 03 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 133.700 किलोग्राम गांजा(कीमत लगभग 40 लाख रुपए) व तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी बरामद।

दिनांक 06.06.2022 को थाना नॉलेजपार्क पुलिस व एसटीएफ फील्ड यूनिट द्वारा चेकिंग के दौरान 03 गांजा तस्कर 1.दीपक शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम बरनावा, निकट ठाकुरद्वारा वाली गली, थाना बिनौली, जनपद बागपत 2.शोएब खान पुत्र शरीफ खान निवासी पुट्टी दरवाजा, किला परीक्षित गढ, जनपद मेरठ 3.वसीम पुत्र मौ0यासीन निवासी ग्राम इकडी, थाना सरधना, जनपद मेरठ वर्तमान पता-ग्राम लिसाडी जफर गार्डन कॉलोनी, थाना लिसाडी गेट, मेरठ को थाना क्षेत्र के परी चौक मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर पहले से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 133.700 (कीमत लगभग 40 लाख रुपए) व तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी रजि0नं0 HR10D1285 बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे गांजा उड़ीसा से लेकर आ रहे थे जिसे दिल्ली/एनसीआर में बेचने जा रहे थे।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.दीपक शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम बरनावा, निकट ठाकुरद्वारा वाली गली, थाना बिनौली, जनपद बागपत।

2.शोएब खान पुत्र शरीफ खान निवासी पुट्टी दरवाजा, किला परीक्षित गढ, जनपद मेरठ।

3.वसीम पुत्र मौ0यासीन निवासी ग्राम इकडी, थाना सरधना, जनपद मेरठ वर्तमान पता-ग्राम लिसाडी जफर गार्डन कॉलोनी, थाना लिसाडी गेट, मेरठ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0- 143/2022 धारा 18/20 NDPS Act थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.133.700(कीमत लगभग 40 लाख रुपए)

2.तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी रजि0नं0 HR10D1285



3-थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा 01 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 11 किलो 300 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 1,54,000) बरामद।

दिनांक 06/06/2022 को थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 गांजा तस्कर राज मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी गाँव बकुराही, थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ, उ0प्र0 वर्तमान निवासी साउथ एक्स, पार्ट-1, दिल्ली को थाना क्षेत्र के मैट्रो गोलचक्कर के पास, अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 11 किलो 300 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 1,54,000) बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त गांजा आंध्र प्रदेश से ट्रेन के माध्यम से लाकर क्लाइंट के पास लेकर जाया जा रहा था जिसको चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उक्त सम्बन्ध में अन्य जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण:

राज मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी गाँव बकुराही, थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ, उ0प्र0 वर्तमान निवासी साउथ एक्स, पार्ट-1, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:

मु0अ0सं0-94/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

11 किलो 300 ग्राम गांजा



4-थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले 02 अभियुक्त व चोरी का माल खरीदने वाला कबाडी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 104 चौक वॉल (ब्रास के) कीमत लगभग 01 लाख रूपये बरामद।

दिनांक 06/06/2022 को थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.दिलीप साहू पुत्र बूंदेराम निवासी ग्राम दतौद, थाना बिलासपुर, जिला जानगीर, छत्तीसगढ़ वर्तमान पता लेबर कैम्प, जे.पी. विशटाऊन, सेक्टर-135, नोएडा 2.श्यामल पुत्र माइकल निवासी बालूघाट, थाना कुंवरगंज, जिला दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल वर्तमान पता- लेबर कैम्प, जे.पी. विशटाऊन, सेक्टर-133, नोएडा व चोरी का माल खरीदने वाले कबाडी नईम पुत्र यासीन निवासी कस्बा फरीदनगर, थाना भोजपुर, जिला गाजियबाद वर्तमान निवासी ग्राम नंगली, थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर को ग्राम नगली के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 104 चौक वॉल (ब्रास के) कीमत लगभग 01 लाख रूपये बरामद हुए है।

घटना का विवरण:

वादी सुरजीत कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी गाँव सालपुर, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ वर्तमान निवासी फील्ड ऑफिसर एस.एस. सिक्कूरिटी, जे.पी. विशटाऊन, सेक्टर-128, नोएडा, थाना सेक्टर-126, नोएडा द्वारा दिनांक 05.06.2022 को अज्ञात अभियुक्त द्वारा जे.पी. विशटाऊन के निर्माणाधीन टावरों से प्लम्बरिंग का सामान (चौक वॉल) चोरी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसका सफल अनावरण करते हुये चोरी करने वाले तथा चोरी का माल खरीदने वाले कुल 03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी गये कुल 104 चौक वॉल कीमत लगभग 01 लाख रूपये बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण:

1.दिलीप साहू पुत्र बूंदेराम निवासी ग्राम दतौद, थाना बिलासपुर, जिला जानगीर, छत्तीसगढ़ वर्तमान पता लेबर कैम्प, जे.पी. विशटाऊन, सेक्टर-135, नोएडा।

2.श्यामल पुत्र माइकल निवासी बालूघाट, थाना कुंवरगंज, जिला दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल वर्तमान पता- लेबर कैम्प, जे.पी. विस्टाऊन, सेक्टर-133, नोएडा।

3.कबाड़ी नईम पुत्र यासीन निवासी कस्बा फरीदनगर, थाना भोजपुर, जिला गाजियबाद वर्तमान निवासी ग्राम नंगली, थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 93/22 धारा 380/411/413 भा0द0वि0 थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

कुल 104 चौक वॉल कीमत लगभग 01 लाख रूपये



#थाना ए0एच0टी0यू0 टीम व थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा दो नाबालिग लडकियों को बन्धक बनाकर घर का काम कराये जाने की सूचना पर दोनों लडकियों का रेसक्यू कराया गया।

दिनांक 05/06/2022 को थाना सेक्टर-20 क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर-27 में दो लडकियों को बन्धक बनाकर काम कराये जाने की सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा अंकिता शर्मा के निर्देशानुसार थाना ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा थाना सेक्टर-20 पुलिस व एफ0एक्स0बी0 चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारियों को साथ लेकर मकान नं0-सी-6, सेक्टर-27 नोएडा पर पहुँचे तो वहाँ पर अनुपम घोष व उनकी पत्नी अनिता घोष मौजूद मिले। पुलिस द्वारा इनको बताया गया की आपके यहाँ पर दो नाबालिग लडकियों को बन्धक बनाकर जबरदस्ती काम करने की सूचना मिली है। इस पर दोनों नाबालिग लडकियों को बुलाया तथा महिला उपनिरीक्षक द्वारा बातचीत करने पर बताया गया कि 01 लडकी इनके गांव का एक व्यक्ति बसन्त अगस्त 2021 में उसकी माता से बात करके काम लगवाने के लिए नोएडा लाया था तथा नोएडा मे रह रहे अनुपम घोष के यहाँ काम पर रखवा दिया। जनवरी 2022 में बसन्त द्वारा उसकी बहन को भी अनुपम घोष के घर काम पर लगवा दिया। दोनों लडकियों को उनके गांव से लाये जाने के संबंध में थाना ए0एच0टी0यू0 को गुमला, झारखण्ड पर एफ0आई0आर0 पंजीकृत होना ज्ञात हुआ। अतः उन दोनो लडकियों थाना सेक्टर-20 पर लाकर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया एंव सी0डब्लू0सी0 के निर्देशानुसार सेक्टर-62 के वन स्टॉप सेन्टर भेजा गया। इस संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना गुमला पुलिस, झारखण्ड को द्वारा दूरभाष सूचित किया गया है।